OFFICE OF CHIEF ENGINEER (HQ), MATERIAL MANAGEMENT CELL
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT RAJASTHAN, JAIPUR

No.: H/G III (3367)/2010/ 5709-51 Dated: 25.05.2010

CIRCULAR

SUBJECT: Policy for selection of pipes for water supply schemes / projects of PHED Rajasthan

In 182[nd] meeting of Policy Planning Committee held on 20.02.2010, following decision was taken at AI-3 regarding selection of pipes for water supply schemes / projects:

एजेण्डा बिन्दु पर, सचिव बोर्ड के प्रस्तुतीकरण एवं तकनीकी समिति की 473वीं बैठक दि0 16.10.09 में की गई अनुशंषा के आधार पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान, तकनीकी समिति की विभिन्न अनुशंषाओं का सचिव बोर्ड द्वारा विस्तार से ब्यौरा दिया गया। विचार–विमर्श के दौरान, विभाग द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले पाईपों के चयन के बारे में सदस्यों द्वारा, नीति बनाने की आवश्यकता प्रकट की गई एवं इस बात पर भी बल दिया गया कि पाईपों के चयन में उनकी लागत को भी, अन्य पैरामीटर्स के साथ–साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिये, ताकि उपलब्ध बजट के अनुरूप ही अधिकतम योजनाओं का कियान्वयन हो सके। विचार–विमर्श के उपरान्त तकनीकी समिति की अनुशंषा पर, कुछ संशोधन उपरान्त, निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिये गये :

- तकनीकी समिति की अन्तिम अनुशंषा के साथ संलग्नक–(I) द्वारा प्रस्तावित, विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लिये जाने वाले पाईपों के "प्रिफर्ड प्रकार" के अनुसार ही जल योजनाओं/परियोजनाओं हेतु पाईपों का चयन किया जावेगा।
- योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में संलग्नक–(I) के अनुसार पाईपों के चयन के बारे में विस्तार से विवरण अंकित किया जायेगा।
- भविष्य में तकनीक में परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के पाईपों के उपयोग के अनुभव, नवीन प्रकार के पाईपों के विकास, इत्यादि को ध्यान में रखते हुये, उपरोक्त नीतिगत निर्णय का समय–समय पर नीति निर्धारण समिति द्वारा पुनरावलोकन किया जायेगा।
- ए.सी. पाईपों के सन्दर्भ में, उत्पादन हेतु प्रोसैस, तकनीकी समिति की अनुशंषा अनुसार ही चयन हेतु पैरामीटर होंगें। उक्त पाईपों में 5 वर्ष के, रखरखाव की जिम्मेवारी निर्माता की होगी। प्रयुक्त किये जाने वाले ए.सी. पाईप, आई.एस.आई. मार्क के ही होगें।

Attested

सचिव
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध बोर्ड